न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 17 / 2014

दायर दिनांक:– 03 / 07 / 2014
निर्णय दिनांक:– 15/ 07 / 2015

1:– लालशकंर पिता देवराम जोशी उम्र वयस्क जाति बाह्मण निवासी गामठवाडा, सागवाडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

–वादी–

बनाम

1:– श्री ललित पिता रेवाशंकर जोशी उम्र वयस्क निवासी गामठवाडा सागवाडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

2:– श्रीमती उमिया पत्नी रेवाशकंर जोशी उम्र वयस्क निवासी गामठवाडा सागवाडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

3:– श्रीमती राधा पत्नी गोवर्धनलाल जोशी पुत्री रेवाशकंर उम्र वयस्क निवासी सवनिया पोस्ट घाटोल जिला बासंवाडा राजस्थान ।

4:– श्रीमती आशा पत्नी बन्सीलाल त्रिवेदी पुत्री रेवाशकंर उम्र वयस्क निवासी वरसिंगपुर तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

5:– श्रीमती मंजु पत्नी विनोद जोशी पुत्री रेवाशकंर उम्र वयस्क निवासी ईटाउवा पोस्ट बडोदिया जिला बासंवाडा राजस्थान।

6:– श्रीमती कमला पत्नी मंशाराम शर्मा पुत्री देवराम उम्र वयस्क निवासी गामठवाडा सागवाडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

7:– श्री रामेश्वर पिता देवराम जोशी उम्र वयस्क निवासी गामठवाडा सागवाडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

8:– श्री राजेन्द्र पिता देवराम जोशी उम्र वयस्क निवासी गामठवाडा सागवाडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

9:– श्री महेशचन्द्र पिता देवराम जोशी उम्र वयस्क निवासी गामठवाडा सागवाडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

10:– भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा ।

–प्रतिवादी–

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 रा.टी.एक्ट बाबत बटंवारा स्थाई निषेधाज्ञा करने।</u>

वादी के वाद का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हो कर गांव सागवाडा में उनके संयूक्त खातेदार की राजस्व भूमि स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण के संयूक्त शामलाजी खाता मौजा गामोठवाडा ,सागवाडा पटवार हल्का सागवाडा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.) में संवत् 2069–2072 के खाता नं 1106(नया) 993 (पुराना) में कुल खेत चौईस कुल रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण 6 व 9 का 5/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में चला आ रहा है जिस पर वादी काबिज होकर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त है तथा उक्त जमीन पर वर्तमान में वादी अपने हिस्से पर काबिज है व प्रतिवादीगण 1 व 5 का 1/6 हिस्सा है। वादी उक्त आराजी पर जरिये बटंवारा डिकी 3784 / 25.05.2012 से काबिज होकर काश्त करते आ रहा है प्रतिवादीगण 1 से

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

मिलकर उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में से वादी की सहमति के बिना भूमि विक्रय करने आमादा हो रहे है वादी एवं प्रतिवादी 6 द्वारा विरोध करने पर भी नही मान रहे है प्रतिवादी 6 को प्रतिवादीगण 1 से 5 एवं 7 व 9 ने डरा धमका कर अपनी ओर मिला लिया है तथा वादी को भी डरा धमका कर उक्त भूमि विक्रय में सहमति दिये जाने बाबत दबाव बना रहे है। मूल खातेदार वादी के परदादा जीवतरामजी थे उनके तीन पुत्र देवराम प्रभुराम व ओंकार थे जिसमें ओंकार लाऔलाद फोत हो गये प्रभुराम के गौरीशकंर व मणीलाल दो पुत्र थे देवराम के रामेश्वर ,लालशकंर , राजेन्द्र महेशचन्द्र व रेवाशकंर वारीसदार है रेवाशकंर की मृत्यु होने से उसकी पत्नी उमिया देवी पुत्र पुत्री ललीत ,राधा ,आशा ,मंजु खातेदार है जिसका विरासती नामान्तरण 3423/10.02.2010 को खोला गया देवराम व प्रभुराम का संयुक्त खाता जरिये बंटवारा डिकी 3784/25.05.2012 से बंटवारा किया गया उक्त बटंवारा के बाद से खाता सं 1106 में खातेदार ललीत ,राधा , आशा, मंजू पिता रेवाशकंर , उमिया देवी बेवा रेवाशकंर 1/6 ही.ब. रामेश्वर ,लालशकंर , राजेन्द्र , महेशचन्द्र पिता देवराम , कमला पुत्री देवराम 5/6 ही दूब. देह खातेदार के नाम से जमा बन्दी संवत् 2067 से 72 दर्ज रेकार्ड है।

प्रतिवादीगण 1 से 5 एवं 7 व 9 द्वारा प्रतिवादी सं 6 एवं वादी पर उक्त संयुक्त खातेदार की भूमि को विक्रय करने हेंतु बार-बार दबाव बनाया जा रहा है जिसमें प्रतिवादी सं 6 को डरा धमका कर प्रतिवादी सं 1 से 5 एवं 7 व 9 ने अपनी ओर मिला लिया है। वादी को भूमि विक्रय करने हेतु डराया धमकाया जा रहा है। वादी द्वारा नही मानने पर भी उक्त भूमि का सौदा किसी से तय कर लिया है तथा 15 दिन से वादी पर जबरन बल प्रयोग द्वारा दबाव बनाया जा रहा है जिससे वादपत्र पेश करने की नौबत आई है।

वादी का उक्त खाता प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से चलाने पर अपने हिस्से की जमीन पर कोई विकास कार्य नही कर सकता है साथ ही उक्त सम्पूर्ण खसरा की भूमि को प्रतिवादीगण विक्रय करने उतारू होने से वादी अपना हिस्सा अलग कराकर उस पर काबिज हो सकें। प्रतिवादीगण 1 से 5 एवं 7 व 9 जबरन वादी के हिस्से की जमीन को खोस लेना चाहतें है जिसके लिये वह आये दिन वादी के साथ लडाई झगडा करते है। 20 अप्रैल 2014 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को डराया धमकाया गया तथा माह मई में वादी पर उक्त भूमि विक्रय करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है जिसमें प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा पाबन्द किया जावे कि वह संयुक्त खातेदारी की भूमि वादी की स्वीकृति के बिना विक्रय नहीं करें। प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद नोटिस तानीली के उपस्थिति नहीं होने पर प्रतिवादी सं 1, 2 व 4 से 9 के विरूद्ध दिनांक 27/10/2014 को एवं प्रतिवादी सं 3 के विरूद्ध दिनांक 16/02/2015 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। पत्रावली में साक्ष्य वादी में वादी द्वारा जमाबन्दी संवत् 2069-2072 मौजा सागवाडा खाता सं 1106 नया 993 पुराना कुल किता 24 कुल रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा की प्रतिलिपि (EX1) प्रस्तुत की । गवाह के रूप में वादी द्वारा अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया । साक्ष्य प्रदर्श करवाए गए। निर्णय निम्नानुसार है।

पत्रावली में वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में जमाबन्दी संवत् 2069-2072 मौजा सागवाडा खाता सं 1106 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादी प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार है । वादी द्वारा वाद में यह दाद चाही है कि प्रतिवादीगण जो उसके सहखातेदार है वे वादी की तबतक भूमि विक्रय न करें जब तक कि खाता अलग न कर दिया जावें । चूकिं वादी वादग्रस्त आराजी का सह खातेदार है अतः वादग्रंस्त आराजी ने अपने हिस्सें का पृथक बटंवारा करवाए जाने का हकदार है अतः वाद वादी डिकी किया जाकर वादीगण के हिस्सें का बटंवारा कर पृथक खाता कायम करने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे वादी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करें। इस आशय की डिकी जारी हो। निर्णय सरें ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner